

389



**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

दिनांक- 23-1-16

लक्ष्मण पटेल पुत्र तुलसीराम पटेल  
निवासी शिवाजी वार्ड सागर तहसील व  
जिला सागर (म.प्र.)

श्री शुक्लेश भार्गव कर्जित  
द्वारा आज दि. 22-1-16 को  
प्रस्तुत

..... आवेदक

विरुद्ध

कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामवती उर्फ प्रेमरानी पटेल पत्नी स्व. घनश्याम पटेल निवासी शिवाजी वार्ड सागर तह. व जिला सागर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सागर

..... अनावेदकगण

शुक्लेश भार्गव  
22-1-2016 (सागर)  
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार सागर जिला सागर द्वारा रा.प्र.कं. 150अ/6 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दि. 18.12.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अधीन पुनरीक्षण

Copy Recd  
22.1.16  
(KACP)

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, अनावेदक रामवती ने द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा अपील कं. 30अ/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

*(Signature)*

- 2 -  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-232-दो/2016

जिला-सागर

लक्ष्मण पटेल विरुद्ध रामवती उर्फ प्रेमरानी पटेल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सागर जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 150/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सचिव 25/2/2019</p>